राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.– 0141.2399335, 2399336 ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ 20(8)(2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट/23/26355 जयपुर, दिनांक 31/01/24

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित अधिनियम, 2021 की धारा 4 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 यथा संशोधित आदर्श नियम, 2022 के नियम 4 के अन्तर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जॉच, सुनवाई एवं निपटान हेतु निम्न वर्णित जिलों में गठित **किशोर न्याय बोर्ड** में सदस्य पद तथा अधिनियम की धारा 27 एवं आदर्श नियम के नियम 15 के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच, सुनवाई एवं निपटान हेतु निम्न वर्णित जिलों में गठित **बाल कल्याण समिति** में अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

किशोर न्याय बोर्ड		
क. सं.	जिले का नाम	बोर्ड में रिक्त पदों का विवरण
1	झालावाड	02 सदस्य (जिनमें से 01 महिला)
2	पाली	01 सदस्य
3	अलवर	01 महिला सदस्य
4	सिरोही	01 सदस्य

बाल कल्याण समिति		
क. सं.	जिले का नाम	समिति में रिक्त पदों का विवरण
1	पाली	02 सदस्य
2	चूरू	01 अध्यक्ष व 4 सदस्य (01 महिला)
3	झालावाड	01 अध्यक्ष व 4 सदस्य (01 महिला)
4	बारां	01 अध्यक्ष व 3 सदस्य
5	बाडमेर	01 अध्यक्ष व 2 सदस्य (01 महिला)
6	धौलपुर	01 सदस्य

7	जालौर	02 सदस्य
8	उदयपुर	01 अध्यक्ष
9	भीलवाडा	03 सदस्य (01 महिला)
10	करौली	01 महिला सदस्य

उक्त वर्णित जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद एवं बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के लिए अपेक्षित दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र वेब साईट www.dcr.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरकर एवं आवश्यक संलग्नकों सहित दिनांक 19 **फरवरी 2024** तक संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा कराये जा सकते है।

नोट-विभाग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति कमांक 26634 दिनांक 19.09.2022 ,विज्ञप्ति कमांक 66200 दिनांक 31.03.2023 एवं विज्ञप्ति कमांक 4306 दिनांक 10.05.23 द्वारा उपरोक्त वर्णित जिलों की बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के लिए जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था, उन्हें नये सिरे से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(पूनम)
आयुक्त
एवं
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

क्रमांकःएफ 20(8)(2)बा.अ.वि./किन्याअ/किन्याबोर्ड./मनोनयन पार्ट/23 26356-370 जयपुर, दिनांकः 31/01/24

निम्नलिखित को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव-गृह/विधि/बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, ...।
8. माननीय अध्यक्ष/सदस्य, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, बाल अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
10. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/लेखाधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।

11. संबंधित सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग को प्रेषित कर लेख है कि बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के लिए आवेदकों से आवेदन–पत्र 02–02 प्रतियों में प्राप्त कर, 01 प्रति जिला कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करें। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड हेतु पृथक–पृथक प्राप्त समस्त आवेदन–पत्रों की निर्धारित प्रारूप में सूचना संकलित कर आवेदनों की मूल प्रति मय संलग्नक दिनांक 26. **फरवरी 2024** तक विशेष वाहक द्वारा निदेशालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक